

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय- मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थान- झाँसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या 193 सन् 2018

दावा प्रस्तुति दिनांक-17/05/2018

1. श्रीमती एकता उम्र करीब 25 वर्ष पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार उर्फ टहलू पुत्री मातादीन

2. कु. ख्वाहिश उम्र करीब 3 वर्ष नाबा. पुत्री स्व.श्री अरविन्द कुमार उर्फ टहलू

3. कु. आभा उम्र करीब 1 वर्ष नाबा. पुत्री स्व. श्री अरविन्द कुमार उर्फ टहलू

बजरिये नाबालिगान संरक्षिका माँ श्रीमती एकता

समस्त निवासीगण स्थायी ग्राम छतैनी पो. कुलसारी थाना कालिंजर तहसील नरैनी जिला बांदा हाल

निवासी उन्नाव गेट बाहर नागोजी का कुँआ झाँसी जिला झाँसी।

-----याचीगण।

प्रति

1. दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी जरिए मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लि. मण्डलीय कार्यालय कचहरी चौराहा, झाँसी। ----- विपक्षी

2. श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व.लाल जी निवासी ग्राम छतैनी पो. कुलसारी थाना कालिंजर तहसील नरैनी जिला बांदा। ----- औपचारिक विपक्षी

टिप्पणी- जो पते कि ऊपर दिये गये हैं यह पक्षकारों ने

को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

दावा अंतर्गत धारा -163 ए व 140 मो० व्ही० एक्ट

मुबलिंग के लिए दावा 71,00,000/-

आवेदक के लिए श्री दिनेश कुमार गुप्ता अधिवक्ता और प्रतिपक्षकार के लिये श्री सुनील शुक्ला अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक 03.08.2020 को श्री चंद्रोदय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतद्वारा आदिष्ट किया जाता है कि- *The Claim Petition is rejected.*

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी